

प्रेषक

निदेशक,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

मुख्य नगर योजनाकार,
पंचकुला ।

यादिक्रमांक 11 डी0पी0-82/20130 दिनांक 17-11-82

विषय:-

Grant of exemption u/s 23 of the Haryana
Development and Regulation of Urban Areas
Act 1975 case of Vishwa Karma Colony Rathpur
Colony.

-0-

उपरोक्त विषय पर आपके यादिक्रमांक गुनयो1प1- 451,
दिनांक 11-10-82 के सन्दर्भ में ॥

2- कृपया स्पष्ट किया जाता है कि पैराफरी रक्ट के अधीन
कोई भवन नियम नहीं है । अतः इन कालोनियों में टी पंजाब ग्राइलड रोडज़
एण्ड कन्ट्रोलड रेसियाज़ रिमटीक्शन आप अनरेग्युलेटिड डिवैल्पमेन्ट रूज़ 1965
की विलडिंग रूज़ ही अप्लाई करें ।

हस्ता/-

सयक्त निदेशक,
नृते:निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।